

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

--: आदेश :-

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / 1167 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020

बलौदाबाजार, दिनांक 28.05.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अंतर्गत, पूर्व में जारी निम्न कार्यालयीन आदेश,

- आदेश क्रमांक 424 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 19.03.2020, एवं
- आदेश क्रमांक 426 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 22.03.2020, तथा
- आदेश क्रमांक 521 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 06.04.2020 एवं
- आदेश क्रमांक 535 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 14.04.2020 तथा
- आदेश क्रमांक 591 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 03.05.2020,
- आदेश क्रमांक 644 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 08.05.2020,
- आदेश क्रमांक 1080 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 17.05.2020,

इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के माध्यम से धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर, संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अधीन धारा 144 लागू की गई थी। आदेश क्रमांक 644 / अ.जि.द / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 08.05.2020 में वर्णित 'माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक की समय अवधि में प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है। शेष शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगा।

आज दिनांक 28.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया जाता है।



क्रमांक 1168 / अ.जि.द / वा-2 / 2020
विवरण:-

(सुनील कुमार जैन) IAS
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा
बलौदाबाजार, दिनांक 28.05.2020

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला पंचायत, सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चरपा कराई जावे।
- अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चरपा कराई जावे।
- तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चरपा कराई जावे।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ, अपने कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चरपा कराने एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- सर्व विभाग प्रमुख, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार-भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

28.05
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा